

पण्डित सुन्दरलाल शमा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)



कार्यवाही विवरण

विद्यापरिषद् की 16 वीं बैठक
दिनांक 12/05/2015, दिन मंगलवार
समय : 12:00 बजे दोपहर
स्थान – मुख्यालय, बिलासपुर

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 16 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की विद्यापरिषद् की 16 वीं बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 12/05/2015 को दोपहर 12:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय के कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही -

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह — अध्यक्ष
कुलपति
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
2. प्रो. एस. के. जाधव — सदस्य
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (बायोटेक्नालाजी)
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)
3. डॉ. संजय तिवारी — सदस्य
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स विभाग
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)
4. डॉ. आर. प्रसाद — सदस्य
प्राध्यापक (अर्थशास्त्र विभाग)
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)
5. डॉ. एल. पी. पटैरिया — सदस्य
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
प्रबंध अध्ययन विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)
6. प्रो तीर्थेश्वर सिंह — सदस्य
आचार्य एवं अध्यक्ष,
अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक,
जिला- अनूपपुर (म0प्र0)

रविशंकर शुक्ल
19/5/2015

7. श्री रमेश नैयर — सदस्य
संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी
रायपुर (छ.ग.)
8. डॉ. बी. डी. मिश्रा — सदस्य
सह आचार्य
प्रबंध अध्ययन विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)
9. श्री दीपक कुमार पाण्डेय — सचिव
कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके —

1. डॉ. श्रीमती विभा जोशी — सदस्य
निदेशक
स्कूल ऑफ एजुकेशन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली
2. आयुक्त — सदस्य
उच्च शिक्षा संचालनालय
रायपुर (छ.ग.)

विद्या परिषद् की बैठक प्रारंभ होने पर कुलपति ने विद्या परिषद् के तृतीय पुर्नगठित में नवनियुक्त सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया तथा निवर्तमान सदस्यों डॉ. मनीष श्रीवास्तव, प्राध्यापक (अंग्रेजी विभाग), गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलापुर डॉ. सुरेश शुक्ला, प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय कोटा, डॉ. टी.एल. वर्मा, प्राध्यापक, शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर, डॉ. अमित खासकलम, विभागाध्यक्ष, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं डॉ. यू के श्रीवास्तव, परीक्षा नियंत्रक, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुये उनके सकारात्मक कार्यों के लिये

धन्यवाद किया। तत्पश्चात् कुलसचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न लिखित प्रस्ताव विचार हेतु रखे गये –

प्रस्ताव क्रं. 1 विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 15 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवम् पालन प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 15 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करते हुये पालन प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 2 विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क में वृद्धि पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् के द्वारा शुल्क निर्धारण समिति के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये संचालित पाठ्यक्रमों में शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव यथा अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 3 विश्वविद्यालय अध्ययन मंडल की संयुक्त बैठक दिनांक 30/04/2015 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय – विश्वविद्यालय अध्ययन मंडल की संस्तुति पर चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि –


1. परीक्षा पद्धति में दीर्घ उत्तरीय चार प्रश्नों के लिए कुल 16 अंक रखा जाये।
2. सत्रीय कार्य एवं सत्रात परीक्षा में परिवर्तन प्रायोगिक तौर पर बी.एड. एवं डी.एड. पाठ्यक्रम में प्रारंभ किया जावें।
3. अध्ययन मंडल की शेष संस्तुति अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 4 विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 03 (Conduct of Examination and Evaluation of Student Performance) में प्रस्तावित संशोधन पर विचार करना।

निर्णय – आंशिक संशोधन सहित अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 5 विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 10 एवं 10(A) Bachelor of Arts (BA) में प्रस्तावित संशोधन पर विचार करना।

निर्णय – प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।


19/5/2015



प्रस्ताव क्रं. 6 विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 11 एवं 11(A) Bachelor of Science (B.Sc.) में प्रस्तावित संशोधन पर विचार करना।

निर्णय – प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 7 विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 12 एवं 12(A) Bachelor of Commerce (B.Com.) में प्रस्तावित संशोधन पर विचार करना।

निर्णय – प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 8 दीक्षांत समारोह (Convocation) संबंधी प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 30 पर विचार।

निर्णय – चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि दीक्षांत समारोह की प्रक्रिया का उल्लेख अध्यादेश में किया जाये।

प्रस्ताव क्रं. 9 विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 14 Master of Arts (M.A.) में प्रस्तावित संशोधन पर विचार करना।

निर्णय – प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 10 विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 15 Master of Science Mathematics (M.Sc. Maths)/ Master of Arts Mathematics (M.A. Maths) में प्रस्तावित संशोधन पर विचार करना।

निर्णय – प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 11 विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 31 Skill Based Certification/Diploma Courses के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय – प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 12 रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने पर विचार करना।

निर्णय – प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुये निर्णय लिया गया कि नये पाठ्यक्रम सभी प्रक्रिया का पालन करते हुए शुरू किया जाय।

पूरक विषय –

प्रस्ताव क्रं. 1 प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 32 Master of Social Work (M.S.W.) के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय – प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्तावित
19/05/2015

BSC

प्रस्ताव क्रं. 2 विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 05 Fee Structure of the Courses में
प्रस्तावित संशोधन पर विचार करना।

निर्णय – प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत प्रस्ताव –


प्रस्ताव क्रं. 1 विद्या परिषद् के सदस्यों ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि विद्या परिषद्
के सदस्यों को सीटिंग फीस रू. 2,000/- प्रदाय करने पर विचार।


निर्णय – चर्चा उपरांत प्रस्ताव को कार्य परिषद् की बैठक में रखे जाने हेतु
अनुशंसित किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 2 विद्या परिषद् के सदस्य श्री रमेश नैयर का प्रस्ताव था कि विश्वविद्यालय
संचालित पाठ्यक्रमों की पाठ्यसामग्री स्वयं तैयार करवाये।

निर्णय – प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बैठक के अंत में अध्यक्ष की प्रति आभार प्रगट करते हुये बैठक समाप्त की
गई।


19/5/2015
(दीपक कुमार पाण्डेय)
कुलसचिव/सचिव


19.5.15
(डॉ. बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष